

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या: 827/1जी-FP/UK/ROAD/10617/2015 देहरादून: दिनांक: 10 सितम्बर, 2015

सेवा में,

अपर सचिव, वन
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:—जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित ग्राम कुश व कुशदेव महादेव मो0मा0 से परखाल केदारकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु—1.753 है0 वन भूमि हस्तान्तरण FP/UK/ROAD/10617/2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। प्रस्ताव में प्रति है0 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण सहमति की दशा में प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेफ्टा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

संख्या /1जी-FP/UK/ROAD/10617/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य वन संरक्षक गढवाल शिविर कार्यालय, देहरादून।
3. वन संरक्षक गढवाल, पौडी।
4. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग/पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, चमोली।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
7. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, चमोली।

(एस0टी0एस0 लेफ्टा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम:

जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित ग्राम कुश व कुशदेव महादेव मो0मा0 से परखाल केदारकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु-1.753 है0 वन भूमि हस्तान्तरण **FP/UK/ROAD/10617 /2015**

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु चमोली वन प्रभाग में पंचायती वन भूमि, 1.753 है0 सिविल वन भूमि अर्थात् 1.753 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपरोक्त वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, चमोली वन प्रभाग, चमोली तथा वन संरक्षक, गढवाल वृत्त, चमोली द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनहित में प्रस्ताव में प्रति है0 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (एस0टी0एस0लेप्चा भा.व.से.)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

सरकारी मोहर:

तिथि : 10/09/2015

स्थान : देहरादून